

स्पीड-पोस्ट

राजस्थान-सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स.3(2)(04)स्था/स.अ.अधि./अभि./16/15 493-501 दिनांक:-7-11-17


प्रेषित:-

- 1- सुश्री पूनम कुमारी गुप्ता पुत्री श्री काशी राम गुप्ता, क्लोथस मर्चेन्ट, नीयर होटल केमवे, बैंक ऑफ बडौदा, ग्राम-नीमराना, तह-नीमराना जिला-अलवर(राज)-301705
- 2-श्री लेधा दीपक रणजीत पुत्र श्री रणजीत सिंह मकान नं. 298, सेक्टर नं. 15ए, हिसार, हरियाणा 125001
- 3-श्री जितेन्द्र खत्री पुत्र श्री लालचन्द खत्री म.न. ए-248, नवमन लॉयन्स क्लब के सामने बी.एस.एन.एल कॉलोनी के पीछे, वैशाली नगर, अजमेर (राज)
- 4-श्री हंसराज खटीक पुत्र श्री कृष्ण खटीक मौहल्ला, खटीकान, ग्राम/पोस्ट-निमेडा, तह0-फागी, जिला-जयपुर(राज)303005
- 5-श्री मनीष सिद्धावत पुत्र श्री गोवर्धन लाल सिद्धावत वाटर वर्क्स के पास, विजय नगर, फालना, जिला-पाली(राज)-306116
- 6-श्री रोशन कुमार कोटिया पुत्र श्री नाथू लाल प्लाट न0-1, वेद वाटिका त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाई पास, जयपुर (राज)
- 7-श्री कैलाश चन्द मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा, 117, नन्द कालोनी, चौधरी पेट्रोल पम्प के सामने टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान-302029
- 8-श्रीमती सुनिता कुमारी मीना पत्नी श्री रामकिशोर मीना, ग्राम/पोस्ट-बहतूकलॉ, तह-कटुमर जिला-अलवर (राज)-321605

विषय:-सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने के सम्बन्ध में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि अभियोजन विभाग में दिनांक 23.05.2017 को सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर आपके पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे एवं दिनांक 26.05.2017 तक आप संबंधित कार्यालय में आपको पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप द्वारा विहित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं किया गया। आपके निवेदनों पर पदभार ग्रहण करने हेतु अत्यधिक अवसर दिये जा चुके हैं, फिर भी आप बजाय कार्यग्रहण करने के किसी न किसी कारण से समय अभिवृद्धि चाह रहे हैं। आप द्वारा आज दिनांक 07.11.2017 तक भी कार्यग्रहण नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता है कि वस्तुतः आप इस पद पर कार्यग्रहण नहीं करना चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया को अटकाये रखना चाहते हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 23.05.2017 के द्वारा जारी पदस्थापन आदेश की पालना में संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में आज दिनांक 07.11.2017 से 10 दिवस में कार्यग्रहण कर लेवे अन्यथा इस संबंध में बिना कोई पत्र व्यवहार किये नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।


(यशवन्त भारद्वाज)
अति० निदेशक अभियोजन (न्याय)
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:-

सूचना सहायक अभियोजन निदेशालय को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु।


अति० निदेशक अभियोजन (न्याय)
राजस्थान, जयपुर